प्रेस नोट - "अपशिष्ट से संपदा - स्वच्छ और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पहल" पर संगोष्ठी

मानव आबादी में निरंतर वृद्धि, त्वरित आर्थिक विकास, शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव के साथ अपशिष्ट प्रबंधन एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है। ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, कृषि-अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट में ऊर्जा पुनर्प्राप्ति, संसाधनों को पुनर्प्राप्त करने के लिए पुनर्चक्रण आदि सहित कई तरीकों से उपयोग किए जाने की क्षमता है। अपशिष्ट का उपयोग, न केवल पर्यावरण पर बोझ को कम करता है, बल्कि हमारे लगातार घटते संसाधनों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प भी प्रदान करता है। अपशिष्ट से पर्यावरण तथा स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाली हानि और अपशिष्ट से संसाधनों की पुनरप्राप्ति की संभावना को पहचानते हुए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपशिष्ट के उपयोग के उपायों को अपनाने की अपील की। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए आह्वान के अनुरूप, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्ट के उपयोग के लिए कई पहलें की हैं।

28 अप्रैल, 2022 को चेन्नई में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "अपशिष्ट से संपदा- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वच्छ और हरित भारत की दिशा में पहल" पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से अपशिष्ट से संपदा में परिवर्तित करने हेतु की गई पहलों के साथ-साथ इन पहलों के कार्यान्वयन पर देखे गए प्रभाव को प्रस्तुत किया गया। प्रभावी उपयोग की दिशा में संगोष्ठी के मुद्दों में चक्रीय अर्थव्यवस्था की भूमिका शामिल थी। कार्यशाला में धान की पराली के साथ-साथ गोशाला में उत्पन्न गाय के गोबर से ऊर्जा प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकों पर प्रकाश डाला गया। संगोष्ठी में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, बायो-मीथेनेशन, कंपोस्टिंग सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों के अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति के साथ-साथ इन प्रौद्योगिकियों के लिए आगे की राह प्रस्तुत की गई। संगोष्ठी के दौरान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के संयोजन पर आधारित एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की कार्यप्रणाली को दर्शाया गया।

इसके अलावा, कार्यशाला में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण और इसके विकल्पों को बढ़ावा देने तथा प्रभावों पर प्रस्तुति दी गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने प्लास्टिक पैकेजिंग पर बाह्य उत्पादक दिशानिर्देश और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत पोर्टल की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह सूचित किया गया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत

उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ), प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता (पीडब्ल्यूपी) की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पंजीकृत पीआईबीओ (23 लाख टीपीए) द्वारा ईपीआर दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रसंस्करण क्षमता (170 लाख टीपीए) वाले पीडब्ल्यूपी की आवश्यकता है।

श्री आर कन्नन, सदस्य सचिव, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और श्री एच.सी. गिरीश, सदस्य सचिव, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला में सिपेट, नीरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उद्योग संघों, नगर निकायों और चेन्नई स्थित शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों और प्रोफेसरों ने भाग लिया। राज्य बोर्डों, आईआईटी और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु की व्यापक रूप से सराहना की गई और इस बात पर सहमति हुई कि संबंधित हितधारक कार्यशाला के दौरान प्रस्तुत विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रयास करेंगे और अपने संबंधित कार्य क्षेत्रों में अपशिष्ट से सम्पदा के संदेश का प्रसार करेंगे।